न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 104/2013

निर्णय दिनांक :– 20-9-2019

तोलाराम पुत्र रेवंतराम जाति मेघवाल निवासी पाबूसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू
... प्रार्थी

बनाम

1. गणपतराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी पाबूसर हाल निवासी कीकासर तहसील सरदारशहर।
2. मोडूराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी पाबूसर हाल निवासी कीकासर तहसील सरदारशहर।
3. श्रीमती लिछमा देवी पुत्री मुकनाराम पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी गोलसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू
4. श्रीमती केसरदेवी पुत्री मुकनाराम पत्नी चीणाराम जाति मेघवाल निवासी सूढ़ाबास रतनगढ़
5. श्रीमती उदी विधवा पत्नी मोहनराम
6. संतुराम पुत्र मोहनराम
7. लालूराम पुत्र मोहनराम

   } जाति मेघवाल निवासी पाबूसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू ।

8. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक तहसील रतनगढ़ जिला चुरू ।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री रामचंद्र ज्याणी, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभिभाषक अप्रार्थीगण सं 1 ता 7
3. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2013 को प्रस्तुत किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी/वादी की ओर से अनुवानी प्रकरण का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है।

3. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भैराराम के 5 पुत्र रेवंतराम, चंद्राराम, मुकनाराम, गोरूराम व डूंगरराम हुए थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। भैराराम ने पूर्व खातेदार जागीरदार से खेत खसरा नं पुराने 34 तादादी 10 बीघा 14 बिश्वा खसरा नं पुराने 86 तादादी 23 बीघा 11 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 03 बिश्वा थे जिनके वर्तमान खसरा नं 78 तादादी 10 बिघा 19 बिश्वा व खसरा नं 154 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 02 बिश्वा रोही ग्राम पाबूसर में लिये हुए थे। वर्तमान में वादगत खेतों को प्रार्थी व स्व. रेवंतराम व चंद्राराम के वारिसान काश्त करते आ रहे है। वादगत भूमि में स्व. मुकनाराम व मोहनराम का नाम गलत अंकित किया गया है जो शुरू से ही अवैध व शून्य है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पिता स्व मुकनाराम व मोहनराम ने कभी भी वादगत भूमि को काश्त नही किया है। इनको ग्राम कीकासर तहसील सरदारशहर में स्थित खेत दिया गया था। अप्रार्थीगण सं 1 ता 7 का वादगत खेतों से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है अप्रार्थीगण का वादगत भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वो वादगत भूमि खसरा नं पुराने 34 तादादी 10 बीघा 14 बिश्वा खसरा नं पुराने 86 तादादी 23 बीघा 11 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 03 बिश्वा थे जिनके वर्तमान खसरा नं 78 तादादी 10 बिघा 19 बिश्वा व खसरा नं 154 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 02 बिश्वा रोही ग्राम पाबूसर तहसील रतनगढ़ में जबरन प्रवेश न करें तथा ना ही किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय या स्थानांतरण करें। विपक्षी सं. 8 को वर्जित किया जावे कि वो वादगत भूमि के संबंध में विक्रय पत्र पंजीबद्ध न करें।

4. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण का कथन है कि राजस्व रेकार्ड में मुकनाराम व मोहनराम का नाम सही दर्ज हुआ है। प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है और ना ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को उनकी संयुक्त खातेदारी भूमि से प्रार्थना पत्र की आड़ में वंचित करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. बहस उभय पक्ष अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नं पुराने 34 तादादी 10 बीघा 14 बिश्वा खसरा नं पुराने 86 तादादी 23 बीघा 11 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 03 बिश्वा थे जिनके वर्तमान खसरा नं 78 तादादी 10 बिघा 19 बिश्वा व खसरा नं 154 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 02 बिश्वा

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

रोही ग्राम पाबूसर तहसील रतनगढ़ के संबंध में दावा घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बहस में अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन रहा है कि वादगत खसरों की भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का नहीं रहा है। अप्रार्थीगण गलत खातेदारी अंकित होने के कारण किसी अजनबी व्यक्ति को वादगत भूमि विक्रय करने पर उतारू है। वहीं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है तथा संयुक्त खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। हमने बहस पर मनन किया। पक्षकारान संयुक्त खातेदार दर्ज है, परन्तु दौराने दावा यदि भूमि विक्रय होती है तो प्रार्थी के अधिकार प्रभावित होने संभावित है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 08 को दावा के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं पुराने 34 तादादी 10 बीघा 14 बिश्वा खसरा नं पुराने 86 तादादी 23 बीघा 11 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 03 बिश्वा थे जिनके वर्तमान खसरा नं 78 तादादी 10 बिघा 19 बिश्वा व खसरा नं 154 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा कुल तादादी 34 बीघा 02 बिश्वा रोही ग्राम पाबूसर तहसील रतनगढ़ की राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखी जावे। (वाद के निस्तारण तक)

आदेश आज दिनांक 20-9-2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner